संख्या-113/2023/1587/22-2-2022-17(237)/2018

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमनाथ पुत्र स्व0 झुन्नीलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सोमनाथ पुत्र स्व0 झुन्नीलाल, 121ए, ओमपुरवा, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा महिला शीला से सम्बन्धों को लेकर उपजे विवाद के कारण दिनांक 16.06.1977 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-318/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर के आदेश दिनांक 01.11.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.12.2003 द्वारा उक्त सजा से बन्दी को दोषमुक्त किया गया किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2017 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.01.2019 तक 01 वर्ष 06 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार काटी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा अपरिहार 01 वर्ष 06 माह 14 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष 10 माह 20 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सोमनाथ (बन्दी संख्या-27091) पुत्र स्व0 झुन्नीलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-113/2023/1587(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।